



# अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

**जे.पी.विमल** (Retd. IAS)  
अध्यक्ष  
मो. 9414027400

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर ( राज. )  
रजि. नं. 1231/2011

**ई. आशाराम मीणा**  
महासचिव  
मो. 9413380388

दिनांक : 02/01/2019

## उपाध्यक्ष:

श्रीनारायण कैमला  
बी.एल. बैरवा  
राजपाल मीणा  
रामेश्वर कल्याण  
जे.के. महरडा  
श्याम बाबू रावत  
डॉ. मोहन सिंह  
मनोहरलाल मीणा

## कोषाध्यक्ष :

अशोक मीणा

## संयुक्त सचिव :

कमल चाँवरिया  
रामकुमार वर्मा  
जी.एल. ग्रामीण  
हरिनारायण बैरवा  
भगवान सिंह  
डी.सी.भाटी  
श्रीमती अंजूरानी कराडिया

## संगठन सचिव :

डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, रवि मेघवाल,  
चतुर्भुज नवल, एस.के. बैरवा,  
हनुमान सिरसी, प्रभुलाल बैरवा,  
डॉ. राकेश कुमार मीणा

## विधि प्रकोष्ठ :

संयोजक : आर.के. अकोडिया  
सदस्य : गणेश मीणा  
नंदकिशोर दानौदिया  
रक्षपाल कुलदीप

## प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ :

संयोजक : श्रवण लाल महरडा  
सदस्य : शिवचरण मीणा,  
मुकेश मीणा

## महिला प्रकोष्ठ :

संयोजक : श्रीमती नंदा डंगला  
सदस्य : श्रीमती गोमा सागर

## युवा प्रकोष्ठ :

संयोजक : नरसी किराड  
सदस्य : देशराज मीणा, सुनील खटीक

## संभागीय कोर्डीनेटर :

विनय कुमार सिंघल (कोटा)  
बी.एल. भाटी (जोधपुर)  
राकेश रमण (जयपुर)

सेवामें,

माननीय प्रधानमंत्री,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय— विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में विभाग को इकाई नहीं मानकर विश्वविद्यालय को इकाई मानने तथा 13 प्वाइंट के स्थान पर पूर्ववत: 200 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था लागू करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अप्रैल 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पारित निर्णय एवं उस पर डीबी ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जायज ठहराए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय को इकाई नहीं मानकर विभाग को इकाई माना गया है। जिसके तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व युजीसी के देश भर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में 200 प्वाइंट रोस्टर के स्थान पर 13 प्वाइंट रोस्टर लागू किया गया है साथ ही भर्ती की रिक्तियों में विभागवार रिक्तियों विज्ञापित करने के कारण विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में 13 प्वाइंट रोस्टर के कारण अनु.जाति जन जाति का आरक्षण पूर्णतया समाप्त हो गया है।

ऐसी व्यवस्था कायम कर दी गई है कि आरक्षण का महत्त्व ही समाप्त हो गया है यह संविधान की मूल भावना का अपमान व उल्लंघन तो है ही अनु.जाति जन जाति वर्ग के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है।

इण्डियन एक्सप्रेस द्वारा सरकार से आरटीआई के माध्यम से ली गई सूचना के अनुसार देश भर के 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 2620 प्रोफेसर है जिसमें अनु. जाति के 130 ( 4.90 प्रतिशत), अनु.जनजाति के 34 (1.30 प्रतिशत) तथा ओबीसी -0 ( 00.00 प्रतिशत) हैं। इसकी तुलना में अनारक्षित वर्ग के 2434 प्रोफेसर हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति देश के अन्य यूजीसी ग्रान्टेड विश्वविद्यालयों की है।

यदि विभाग को ईकाई माना गया ओर 200 प्वाइंट रोस्टर के स्थान पर 13 प्वाइंट रोस्टर से नियुक्तियों की जाती हैं तो आरक्षित वर्ग का एक भी व्यक्ति भर्ती नहीं हो सकेगा तथा डीन या वाईस चांसलर कभी नहीं बन सकेगा क्योंकि इन पदों के लिए प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस प्रकार भविष्य में अनु.जाति, जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य हो जाएगा।

P.T.O.

**प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य :** दिनेश चन्द, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, रामचरण महावर, नवल किशोर बैरवा, धन्नालाल, लक्ष्मीनारायण वर्मा, किशनलाल एदलपुर, कैलाश मीणा, किशोर असवाल, बी.डी. बैरवा, राजकुमार मल्होत्रा, महेश कोयला

**अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान**

जे.पी.विमल (Retd. IAS)  
अध्यक्ष  
मो. 9414027400

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना झूंगरी, जयपुर (राज.)

ई. आशाराम मीणा  
महारासियव  
मो. 9413380388

**उपाध्यक्ष:**

श्रीनारायण कैमला  
बी.एल. बैरवा  
राजपाल मीणा  
रामेश्वर कल्याण  
जे.के. महरडा  
श्याम बाबू रावत  
डॉ. मोहन सिंह  
मनोहरलाल मीणा

**कोषाध्यक्ष :**

अशोक मीणा  
**संयुक्त सचिव :**  
कमल चाँदरिया  
रामकुमार वर्मा  
जी.एल. ग्रामीण  
हरिनारायण बैरवा  
भगवान सिंह  
डी.सी.भाटी  
श्रीमती अंजूरानी कराडिया

**संगठन सचिव :**

डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, रवि ग्रेषवाल,  
चतुर्भुज नवल, एस.के. बैरवा,  
हनुमान शिरसी, प्रमोदलाल बैरवा,  
डॉ. राकेश कुमार मीणा

**विधि प्रकोष्ठ :**

संयोजक : आर.के. अकोडिया  
सदस्य : गणेश मीणा  
नंदकिशोर वार्नोविया  
रक्षपाल कुलदीप

**प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ :**

संयोजक : श्रवण लाल महरडा  
सदस्य : शिलचरण मीणा,  
मुकेश मीणा

**महिला प्रकोष्ठ :**

संयोजक : श्रीमती नंदा हंगला  
सदस्य : श्रीमती गोमा सागर

**युवा प्रकोष्ठ :**

संयोजक : नरसी किराड  
सदस्य : देशराज मीणा, सुनील खटीक

**संभागीय कोर्डीनेटर :**

विजय कुमार सिंघल (कोटा)  
बी.एल. भाटी (जोधपुर)  
राकेश रमण (जयपुर)

पृष्ठ - 2


दिनांक : .....

महोदय उल्लेखनीय है कि सवर्ण वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होते हुए भी 10 प्रतिशत आरक्षण मात्र 3 दिवस में संविधान में संशोधन करके दिया जा सकता है तो अनु जाति, जन जाति व ओबीसी वर्ग जिसका कि उच्च शिक्षा व राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इन वर्गों के हितों को क्या संसद द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।


अतः आपसे निवेदन है कि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में विभाग को इकाई नहीं मानकर विश्वविद्यालय को इकाई मानने तथा 13 प्वाइंट के स्थान पर पूर्ववतः 200 प्वाइंट शेरट व व्यवस्था बहाल करने हेतु संसद के माध्यम से प्रोफेसरों की भर्ती में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अध्यादेश लाया जाए तथा संविधान में संशोधन किया जावे।

आज देश में इस तथ्य को लेकर अनुजाति जन जाति व ओबीसी वर्ग के छात्रों में भारी असंतोष व्याप्त है और वे अपनी पढाई छोड़कर आन्दोलन व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यदि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन देश में आन्दोलन किया जाएगा। हमें आशा है कि आप उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखकर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

भवदीय



आशाराम मीणा  
महारासियव



प्रभुलाल वैरवा  
सचिव



(जे.पी.विमल)  
अध्यक्ष

**प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य :** गोपाल लाल वर्मा, दिनेश चन्द, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, रामचरण महावर, नवल किशोर बैरवा, धन्नालाल, रामविजलाडी मीणा, लक्ष्मीनारायण वर्मा, किशनलाल मीणा, कैलाश मीणा, होमलाल मीणा